



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र स्व० हरिशंकर सिंह,
भवन संख्या-एस० 24/11-सी-1, मारकेण्डेश्वर नगर
टकटकपुर, वाराणसी।

पत्रांक : 148/14/वि०प्रा०/नि०ना०/2014-15

दिनांक : 28-2-15

विषय : आरजी सं०-मि० 148 व 149, मौजा-भरलाई, परगना-शिवपुर पर ग्रुप हाउसिंग
मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.11.2014 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। आप द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया है। निम्नानुसार धनराशि दिनांक 9-3-15 जमा करने का कष्ट करें :-

1. सुपरविजन शुल्क	81,222.00
2. सब-डिवीजन शुल्क	5,27,990.00
3. विकास शुल्क	49,49,899.00
4. आन्तरिक विकास शुल्क 50 प्रतिशत	4,66,391.00
5. एफ०ए०आर० शुल्क	84,47,511.00
6. शिल्टर शुल्क	33,84,000.00
योग-	1,78,57,013.00

- आपको प्रति हे० 50 पेड़ की दर से कुल-22 पेड़ लगाने होंगे।
- कूड़ा संचयन की पर्याप्त व सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक है।
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु रू० 50,000.00 प्राधिकरण के पक्ष में पौंच वर्ष के लिए सावधि बन्धक रखना होगा।
- नगर निगम, जल कल विभाग, अग्निशमन विभाग एवं विद्युत विभाग का अनापत्ति आवश्यक होगी। अनापत्ति में दिये गये निर्देशों का पालन आवश्यक होगा।
- स्ट्रक्चरल इंजीनियर व आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण भूकम्परोधी होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिया जायेगा। पक्ष, आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा कोई अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष, स्ट्रक्चरल इंजीनियर व आर्किटेक्ट की होगी।